# अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर।

भूमिहीन लाभुकों को भूमि बन्दोबस्ती करने संबंधी
अभिलेख संख्या 05/2020-21
अंचल का नाम-राजनगर, अनुमण्डल-सरायकेला

| आदेश की क्रम सं० और तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी |
|---|---|---|
| 10.07.20 | अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक 1571/रा0 सरायकेला, दिनांक-08.07.2020 द्वारा प्राप्त सरकार के सचिव,राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-1447/रा0,दिनांक-15.06.2020 में निहित निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज भूमिहीन लाभुक श्री अर्जुन मुखी,पिता-रबी मुखी को भूमि बंदोबस्ती के माध्यम से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु खोला गया है।<br><br>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से उक्त कार्य हेतु सुयोग्य विवादरहित भूमि का चयन कर प्रस्ताव एवं भूमि सत्यापन प्रतिवेदन (ट्रेस नक्सा सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करें। ग्राम सभा हेतु नोटिस निर्गत करें। सर्वसाधारण सूचना निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित करें।<br><br>अभिलेख दिनांक 21.07.2020 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित<br>10/7/20<br>अंचल अधिकारी,<br>राजनगर। | |
| 21.07.20 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। ग्राम सभा का प्रतिवेदन अप्राप्त। सर्वसाधारण सूचना प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। ग्राम सभा का प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पुनः नोटिस निर्गत करें। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से उक्त कार्य हेतु सुयोग्य विवादरहित भूमि का चयन कर प्रस्ताव एवं भूमि सत्यापन प्रतिवेदन(ट्रेस नक्सा सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करें।<br><br>अभिलेख दिनांक 10.08.2020 को उपस्थापित करें।<br><br>21/7/20<br>अंचल अधिकारी,<br>राजनगर। | |

| | |
|---|---|
| 10.08.20 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। ग्राम सभा का प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से उक्त कार्य हेतु सुयोग्य विवादरहित भूमि का चयन कर प्रस्ताव एवं भूमि सत्यापन प्रतिवेदन (ट्रेस नक्सा सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करें।<br><br>अभिलेख दिनांक 18.08.2020 को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>राजनगर। |
| 18.08.20 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदक के आवेदन का जाँच तथा राजस्व अभिलेखों से मिलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्न्तगत स्थायी प्रतीक्षा सूची के भूमिहीन लाभुकों को सरकार के सचिव,राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक–1447/रा0,दिनांक–15.06.2020 के आलोक में भूमि बन्दोबस्ती हेतु आवेदित भूमि मौजा–अन्तुसाई के थाना नं0 –80, खाता संख्या–83,प्लॉट संख्या–36,रकवा–0.08 एकड़ किस्म–पत्थर, भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार(वर्तमान में झारखण्ड सरकार) के नाम से दर्ज है। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया कि आवेदित भुखण्ड पर आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदक भूमिहीन गरीबी रेखा के नीचे एवं सुयोग्य श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं। जन सेवक द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक अर्जुन मुखी, पिता–रबी मुखी का जमीन के आभाव में प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा सका है। आवास हेतु भूमि उपलब्ध होने पर आवेदक अर्जुन मुखी, पिता–रबी मुखी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है।<br><br>अतः राजस्व उप निरीक्षक, एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित भूमि का भूमि बन्दोबस्ती करने हेतु अभिलेख के साथ जाँच प्रतिवेदन, ट्रेस नक्सा तीन प्रतियों में,कन्टीन्युस खतियान एक प्रति, चेक स्लीप तीन प्रतियों में, ग्राम सभा की प्रति मूल रुप में, सर्वसाधारण सूचना मूल रुप में एवं सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न कर अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला को भेंजें।<br><br>लेखापित<br><br>अंचल अधिकारी,<br>राजनगर।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>राजनगर। |

# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय, सरायकेला।

भूमिहीन लाभुकों को भूमि बन्दोवस्ती करने संबंधी अभिलेख सं0-05/2020-21

| आदेश की क्रम संख्या और तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1-9-2020 | अभिलेख उपस्थापित। अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक 1571/रा0, सरायकेला, दिनांक 08.07.2020 एवं सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 1447/रा0 दिनांक 15.06.2020 में निहित निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 572 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज भूमिहीन लाभुक श्री अर्जुन मुखी पिता रबी मुखी, ग्राम-नागातुमुंग को भूमि बन्दोवस्ती के माध्यम से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित अभिलेख सं0-05/2020-21 प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन किया गया।<br>अंचल अधिकारी, राजनगर के जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदक का आवेदन पत्र को राजस्व अभिलेखों से मिलान कर जाँच किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के भूमिहीन लाभुक को भूमि बन्दोवस्ती हेतु आवेदित भूमि मौजा-अन्तुसाई, थाना नं0-80, खाता नं0-83, खेसरा सं0-36 कुल रकवा-0.08 एकड़, किस्म-पत्थर, भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार वर्तमान झारखण्ड सरकार के नाम से दर्ज है एवं आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदक भूमिहीन गरीबी रेखा के नीचे एवं सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत आते है। जन सेवक द्वारा जाँच प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री अर्जुन मुखी पिता रबी मुखी को जमीन के अभाव में प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा सका है। आवास हेतु भूमि उपलब्ध होने पर आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है। अभिलेख के साथ जाँच प्रतिवेदन, ट्रेश नक्शा, कन्टीन्युअस खतियान, चेक स्लिप तीन-तीन प्रति एवं सर्वसाधारण सूचना(आम ईस्तेहार) संलग्न है।<br>अतः अंचल अधिकारी, राजनगर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अन्तर्गत भूमिहीन लाभुक श्री अर्जुन मुखी पिता रबी मुखी, ग्राम-नागातुमुंग को कुल-0.08 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा किया जाता है।<br>अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को भेजें।<br><br>लेखापित<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता<br>सरायकेला।<br><br>01/09/2020<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,<br>सरायकेला। | |

2.9.2020 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य का अवलोकन किया गया। अतः अंचल अधिकारी, राजनगर एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अन्तर्गत भूमिहीन आवेदक श्री अर्जुन मुखी पिता रबी मुखी, ग्राम-नागातुमुंग को मौजा-अन्तुसाई, थाना नं0-80, खाता नं0-83, खेसरा सं0-36 कुल रकवा-0.08 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख अंचल अधिकारी, राजनगर को कार्रवाई हेतु भेजे।

02/09/2020

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सरायकेला।